

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं0 - 40
उत्तर देने की तारीख - 6 दिसम्बर, 2013

गाँवों में दूरसंचार सेवाएं

*40. डॉ राम प्रकाश :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गाँवों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और
- (ख) इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु किन-किन समाधानों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल सिंहल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जारी....2

राज्य सभा में "गाँवों में दूरसंचार सेवाएं" के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 को पूछे जाने वाले तारंकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) और (ख) के संबंध में सभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के द्वारा वित्त-पोषित स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने में आने वाली निम्नलिखित मुश्किलों के बारे में सूचित किया है :-

- (i) कम जनसंख्या सघनता और कठिन रथल परिस्थितियां सेवा कार्य को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बना देते हैं।
- (ii) इन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना विकास के लिए कैपेक्स (पूँजीगत व्यय) और ऑपेक्स (प्रचालनात्मक व्यय) बहुत अधिक हैं।
- (iii) पर्याप्त बैकहॉल कनेक्टिविटी की कमी।
- (iv) राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी अनुमतियां प्राप्त करने में मुश्किलें।
- (v) समुचिल सहायक अवसंरचना (सड़क, विद्युत आपूर्ति आदि) की कमी।

(ख) व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2002 से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की गई है। यूएसओ के कार्यान्वयन के लिए संसाधन यूएसओएफ, एक सार्वभौमिक सेवा प्रशुल्क (यूएसएल) के माध्यम से जुटाए जाते हैं जोकि इन्टरनेट, वॉयस मेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं आदि जैसे विशुद्ध मूल्यवर्द्धित सेवा-प्रदाताओं को छोड़कर, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अभिशासन को समय-समय पर, यथासंशोधित भारतीय तार नियमावली, 1951 द्वारा अधिशासित किया जाता है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्तीय/राज सहायता उपलब्ध करवाकर अव्यवहार्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न यूएसओएफ संबंधी स्कीमों की आयोजना एवं उनका कार्यान्वयन किया जाता है। यूएसओएफ स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है :-

- (i) जनरल ऑप्टिकल फाइबर केबल(ओएफसी) अवसंरचना का सृजन
 - (क) ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)।
 - (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्तरा-जिला उप-मण्डलीय मुख्यालय-जिला मुख्यालय (एसडीएचक्यू-डीएचक्यू) ओएफसी नेटवर्क का सृजन एवं प्रबंधन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का संवर्धन।
- (ii) ग्रॉम स्तर तक वायरलाइन ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी का प्रावधान करने हेतु ग्रामीण ब्रॉडबैण्ड स्कीम।
- (iii) साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम
- (iv) सार्वजनिक अभिगम: सभी गाँवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन।
- (v) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए स्कीम।
